फाइल सं. ओ-19025/4/2007-ओएनजी डीवी
भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

17 दिसंबर, 2007
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

सेवा में,

महानिदेशक,
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय,
नोएडा, उत्तर प्रदेश

विषय: (1) एनईएलपी-पूर्व और एनईएलपी संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पूरा न किए गए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम/प्रतिबद्ध कार्य के कार्यक्रम की लागत के निर्धारण की नीति।

(2) कोल बेड मीथेन संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए अन्वेषण चरणों के विस्तारण की नीति।

महोदय,

मुझे, विभिन्न अन्वेषण ब्लॉकों के अंतर्गत पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम के प्रति ठेकेदारों द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का हवाला देने का निर्देश हुआ है। मुझे, कोल बेड मीथेन संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण चरणों का विस्तारण मांगने के डीजीएच के प्रस्तावों का भी हवाला देने का निदेश हुआ है।

एकसमान पारदर्शी मापदंडों के आधार पर इन प्रस्तावों पर विचार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

(1) एनईएलपी-पूर्व और एनईएलपी संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पूरा न किए गए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम/ प्रतिबद्ध कार्य के कार्यक्रम की लागत का निर्धारण करने की नीति (नीति ।।।/पूरा न किए गए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की लागत का निर्धारण/2007)

(2) कोल बेड मीथेन संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए अन्वेषण चरणों के विस्तारण की नीति (नीति IV/सीबीएम विस्तारण/2007)।

इन दोनों नीतियों की प्रतियां तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

ये नीतियां, भारत में उत्पादन साझेदारी संविदाओं का प्रचालन करने वाली कंपनियों के बीच परिचालित कर दी जाएं और उन्हें यह सूचित कर दिया जाए कि ब्लॉकों के परित्याग पर और सीबीएम संविदाओंके अंतर्गत अन्वेषण चरणों के लिए समय के विस्तारण की मांग करने के लिए, पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम हेतु धनराशि निर्धारित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

नीतिगत दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सीबीएम संविदाओं, जिनमें अन्वेषण चरण 6 महीने से अधिक विस्तारित नहीं किए गए हैं, की समीक्षा की जाए और नीति की शर्तों एवं निबंधनों का अनुपालन करने के पश्चात मामले की मेरिटों के आधार पर सिफारिशें मंत्रालय को अग्रेषित की जाएं।

डीजीएच से भी अनुरोध है कि वह पिछले ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करे, जहां ठेकेदारों ने इस नीति के अनुसार पूरा न किए गए कार्य के न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति

सरकार को अनंतिम भुगतान कर दिए हैं और यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि लंबित मामले, इस नीति में दिए गए ढांचे के अंदर सुलझा लिए जाएं, मंत्रालय को प्रस्तुत करें। डीजीएच से यह भी अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि यदि पीएससी में सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार विनिर्दिष्ट समय के पश्चात पूरा न किए गए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम के लिए भुगतानों में कोई विलंब है तो ठेकेदार, पीएससी की लेखांकन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज के साथ धनराशि जमा करता है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति दें।

भवदीय,
हस्ता./-
(सुनीता शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>नीति ।।।/पूरा न किए गए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की लागत का निर्धारण/2007</u>

एनईएलपी-पूर्व और एनईएलपी संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पूरा न किए गए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम/प्रतिबद्ध कार्य के कार्यक्रम की लागत के निर्धारण की नीति

सरकार ने एनईएलपी-पूर्व और एनईएलपी चक्रों के दौरान विभिन्न उत्पादन साझेदारी संविदा किए हैं, जिनमें विभिन्न अन्वेषण चरणों में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम कार्य का कार्यक्रम करने के लिए ठेकेदार की ओर से एक प्रतिबद्धता का उपबंध किया गया है। एनईएलपी-V तक किए गए पीएससीज में तीन (3) अन्वेषण चरणों पर विचार किया गया है और एनईएलपी VI के अंतर्गत किए गए पीएससीज में दो अन्वेषण चरण हैं। कंपनियों द्वारा बोली दिए गए कार्य के कार्यक्रम में संबंधित पीएससीज के प्रत्येक अन्वेषण चरणों में प्रतिबद्ध किए गए कार्य के कार्यक्रम की शर्त रखी गई है। एनईएलपी-VI पीएससीज के अंतर्गत, प्रतिबद्ध किए गए कार्य के कार्यक्रम में, ठेकेदार द्वारा बोली दिए गए कार्य के कार्यक्रम के अलावा अनिवार्य कार्य का कार्यक्रम भी शामिल है।

2. प्रत्येक अन्वेषण चरणों की विशिष्ट अवधि, पीएससीज में उपबंधित की गई है। अभितट और छिछले समुद्र ब्लॉकों के लिए अन्वेषण चरण की अधिकतम अवधि, चरण ।, ।। और ।।। के लिए क्रमश: 3वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष है, जिनकी कुल अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। गहन समुद्र और अग्रवर्ती क्षेत्र वाले ब्लॉकों के मामले में आमतौर पर क्रमश: 4 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष है, जिसकी कुल अवधि 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एनईएलपी VI पीएससीज के अंतर्गत अन्वेषण अवधि, अभितट और छिछले समुद्र ब्लॉकों के मामले में क्रमश:4 वर्ष और 3 वर्ष और गहन समुद्र तथा अग्रवर्ती क्षेत्र वाले ब्लॉकों के मामले में क्रमश: 5 वर्ष और 3 वर्ष के दो अन्वेषण चरणों में विभाजित की गई है। तथापि, इन चरणों की अवधि, पीएससीज के उपबंधों के अनुसरण में या सरकार द्वारा प्रदान किए गए किसी विस्तारण की शर्त के अधीन है।

3. पीएससीज में आमतौर पर विस्तारण संबंधी खंड होता है, जिसमें एमडब्ल्यूपी पूरा करने के लिए प्रबंधन समिति या सरकार, जैसा भी मामला हो, के अनुमोदन से अगले अन्वेषण चरण के विस्तारण का उपबंध होता है। इसमें, अतिरिक्त अन्वेषण कार्यक्रम पूरा करने के लिए 6 महीने के विस्तारण का भी उपबंध होता है। इसके अलावा, ठेकेदार, पीएससीज में विनिर्दिष्ट समय सीमा के बाद अन्वेषण चरण में विस्तारण की मांग करते रहे हैं जो सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तारण नीति द्वारा विनियमित किए जा रहे हैं।

4. यदि ठेकेदार उपबंधित अवधि के अंदर न्यूनतम कार्य का कार्यक्रम/प्रतिबद्ध कार्य का कार्यक्रम पूरा नहीं करते हैं तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वे पूरा न किए गए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम, यदि कोई है, के लिए सरकार को धनराशि का भुगतान करें और उक्त धनराशि निर्धारित करते समय पीएससी के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि बजट और आधुनिक तेल फील्ड तथा पेट्रोलियम उद्योग पद्धतियों सहित सभी उपलब्ध सुसंगत सूचना पर विचार किया जाएगा।

5. यह अवलोकन किया गया है कि हाल ही में कुछ ठेकेदारों ने पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम के प्रति सरकार के पास धनराशि जमा कराकर ब्लॉकों का परित्याग कर दिया। इस धनराशि का परिकलन किया गया है और वेधन गहराई, शुष्क कूप सिद्धांत के आधार पर लागत परिकलनों, वेधन के चालू संविदा से निकाली गई दैनिक दर आधार पर वेधन दरें (मीटर दर आधार से भिन्न) और सेवाओं के बारे में कुछ अनुमानों के आधार पर ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई हैं। यह भी अवलोकन किया गया है कि ये अनुमान पीएससी उपबंधों के अनुसार भिन्न-भिन्न निर्वचन के प्रति असुरक्षित हैं। चूंकि इसमें सरकार के बड़े स्टेक शामिल हैं, इसलिए पीएससी के उपबंधों के अनुरूप, पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम के प्रति धनराशिंया निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा एक पारदर्शी और स्थायी नीति तैयार की गई है। इसके अलावा, इस नीति में इस बात पर विचार किया गया है कि निर्धारित की गई धनराशि इतनी होनी चाहिए जिससे ठेकेदार पर दंड न पड़े और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपना न्यूनतम कार्य की प्रतिबद्धताएं पूरी करें, ठेकेदारों द्वारा निवारक के रूप में भी कार्य किया जाना चाहिए।

5. उपर्युक्त उद्देश्यों से निम्नलिखित नीति तैयार की गई है, जिसका अनुपालन पूरा न किए गए कार्य के कार्यकम की धनराशि निर्धारित करते समय और इसे सरकार के पास जमा करते समय ठेकेदार के पक्षकारों द्वारा किया जाएगा:

(i) किसी अन्वेषणात्मक कूप से संबंधित पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम की लागत शुष्क कूप सिद्धांत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(ii) न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अंतर्गत कंपनियों द्वारा प्रतिबद्ध कूप गहराई पर पूरे न किए गए कूप की लागत का परिकलन करने के उद्देश्य से विचार किया जाएगा क्योंकि ब्लॉकों का अवार्ड करने और बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए यह एक मापदंड रहा है।

(iii) कूप लागत का परिकलन, कूप निर्माण/केसिंग नीति के अनुसार विभिन्न चरणों में वेधन के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या की गणना करके किया जाएगा। कूप की भू-गर्भीय - तकनीकी व्यवस्था और कूपों से संबंधित आंकड़ों को वेधन के समय आकलन करने हेतु विचार करने के लिए लिया जाएगा।

(iv) पूरा न किए गए कूपों के कूप डिजाइन, उसी ब्लॉक में वेधित कूपों के समान होगा। यदि उसी ब्लॉक में किसी कूप का वेधन नहीं किया गया है तो कूप का डिजाइन निकटवर्ती ब्लॉकों में कूपों के समान होगा।

(v) दैनिक दरों पर, रिगों, सेवाओं और उपयोज्य वस्तुओं के लिए वैध चालू संविदाओं से विचार किया जाएगा। डीजीएच, चालू वर्तमान में प्रचलित बाजार शर्तों के आधार पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रत्येक अन्वेषण

क्रियाकलाप के लिए लागत आंकड़े रखेगा, जिन्हें सरकार के अनुमोदन से हर 6 महीने में संशोधित किया जाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम की परिकलित दरें डीजीएच द्वारा रखे गए लागत आंकड़ा बैंक से कम हैं, तो डीजीएच के लागत आंकड़ा आधार पर कंपनियों से पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम के प्रति धनराशि वसूल की जाएगी।

(vi) यदि ठेकेदार अपने प्रचालनों के लिए कैप्टिव रिगों और सेवाओं का इस्तेमाल करता है तो पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम की धनराशि उसी क्षेत्र/बेसिन में प्रचलित बाजार दरों के आधार पर निर्धारित की जाएगी और डीजीएच प्रत्येक क्षेत्र/बेसिन के लिए रखे गए लागत आंकड़ों से धनराशि का सत्यापन करेगा।

(vii) पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम के प्रत्येक क्रियाकलाप की लागत का परिकलन मॉडल पीएससी के परिशिष्ट-ज में दिए गए फार्मेट के अनुसार किया जाएगा।

(viii) 2-डी और 3-डी भूकंपीय लागतों का परिकलन अधिग्रहण, प्रोसेसिंग और निर्वचन के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित दरों के आधार पर किया जाएगा और यह डीजीएच के लागत संबंधी आंकड़ों से कम नहीं होगी।

(ix) पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम के प्रति अंतिम धनराशि का अनुमोदन करने वाला सक्षम प्राधिकारी, डीजीएच से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सरकार होगी।

(x) ऐसे ब्लॉकों में, जहां सरकार को ठेकेदारों द्वारा अनंतिम भुगतान पहले ही कर दिए गए हैं, पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम की धनराशियां इस नीति के अनुसार परिकलित की जाएंगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा और ठेकेदार शीघ्रता से, ऐसी निर्धारित की गई धनराशियों की अधिसूचना से 15 दिन की अवधि के अंदर सरकार को शेष भुगतान, यदि कोई हो, करेगा।

(xi) इस पॉलिसी के कार्यान्वयन से उत्पन्न कोई परिणामी मुद्दा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तय किया जाएगा।

नीति-IV/सीबीएम विस्तारण/2007

कोल बेड मीथेन संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण और उत्पादन के लिए अन्वेषण चरणों के विस्तारण की नीति

भारत सरकार ने सीबीएम के तीन चक्रों के अंतर्गत कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और उत्पादन के लिए 26 संविदा की हैं, जो वर्तमान में अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। ये संविदा कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति के ढांचे के अंतर्गत किए गए हैं और आमतौर पर इनमें संचालन समिति के अनुमोदन से, पूरा न किए गए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) को पूरा करने के लिए अन्वेषण चरण-। और ।। में से प्रत्येक में 6 महीने के विस्तारण का उपबंध है। सीबीएम नीति का उद्देश्य देश में कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और उत्पादन को सशक्त बनाना है।

2. पिछले समय में ठेकेदार के पक्षकारों से सरकार द्वारा, अन्वेषण चरण में विस्तारण की मांग करने वाले अनेक प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं, जिनमें अनेक कारण दिए गए हैं। अन्वेषण चरणों में विस्तारण की मांग करने के लिए दिए गए मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- राज्य/केंद्र सरकार के प्राधिकारियों से पर्यावरणीय अनुमति मिलने में विलंब।
- सीबीएम क्रियाकलाप के कार्य-निष्पादन के लिए भूमि के अधिग्रहण में प्रक्रियात्मक विलंब।
- राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्याएं।
- बाज़ार में उपयुक्त गहन कोर होल वेधन रिगों की अनुपलब्धता के कारण होने वाले विलंब।
- नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के कारण होने वाले विलंब।

3. मॉडल सीबीएम संविदा के अनुसार अन्वेषण चरण (चरण-। और ।।) की अवधि अधिकतम 8 वर्ष (3+5) वर्ष है। तथापि, शीघ्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बोली मूल्यांकन मापदंड (डीईसी) में चरण-। और ।। के अंतर्गत 8 वर्ष की कुल अन्वेषण अवधि से (अर्थात अवधि में 6 महीने की प्रत्येक कमी के लिए 0.5 पॉइंट्स) साढे 3 वर्ष तक की अन्वेषण अवधि घटाकर अधिकतम 3.5 पॉइंट (चरण-। में एक वर्ष और चरण-।। में 2.5 वर्ष) प्राप्त करने के लिए उपबंध है। अधिकतम पॉइंट प्राप्त करने की दृष्टि से बोली देते समय कंपनियां अन्वेषण अवधि कम करके तीव्र अन्वेषण का प्रस्ताव दे रही हैं।

4. संबंधित संविदाओं में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर प्रतिबद्ध कार्य का कार्यक्रम पूरा न करने के, अन्वेषण प्रयासों की पूरी प्रक्रिया पर अनेक मूर्त और अमूर्त प्रभाव हैं। कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

- अन्वेषण में दक्षता बढ़ाने और उसमें तीव्रता लाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा और इससे भरपाई करनी होगी।

- ब्लॉक समय सीमा के साथ-साथ चरण-वार प्रतिबद्ध कार्य के कार्यक्रम के आधार पर अवार्ड किए जाते हैं। विस्तारण बोली की प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और संविदाओं की भावना को संदूषित कर देते हैं।

- सभी को समान अवसर, न्यायपूर्ण अवसर, प्रणाली की पारदर्शिता का मुख्य उद्देश्य बार-बार दिए जाने वाले विस्तारणों द्वारा प्रभावित हो जाता है।

- अन्वेषण चरणों में विस्तारण प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी और स्थायी ढांचा अंगीकार करने की दृष्टि से सरकार ने एनईएलपी संविदाओं के अंतर्गत विस्तारण की मौजूदा नीति के अनुसार, सीबीएम संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण चरणों में विस्तारण की मांग करने के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु एक विस्तारण नीति तैयार की है। यह नीति उन सीबीएम संविदाओं के संबंध में है, जो या तो सरकार के पास लंबित हैं या जिन्हें भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है। इन नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीबीएम संविदाओं के अंतर्गत चरणों के विस्तारण पर, 8 वर्ष की अन्वेषण अवधि की वैधता के अंदर विचार किया जाएगा। विस्तारण नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  (i) सीबीएम गैस का शीघ्र पता लगाने और उसका उत्पादन करने के लिए संविदा की भावना और बोली देने की प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनाए रखना।

  (ii) समय का तर्कसंगत विस्तारण स्वीकृत करना ताकि ठेकेदारों को एमडब्ल्यूपी या अतिरिक्त अन्वेषण कार्य का कार्यक्रम पूरा करने में समर्थ बनाया जा सके।

  (iii) पूरी परियोजना के जीवन चक्र या विकास योजना के कार्यान्वयन या उत्पादन और रॉयल्टी, करों और संविदात्मक राशियों के भुगतान में विलंब न करना।

  (iv) कुछ किए बिना या कम अन्वेषण क्रियाकलाप किए बिना या धीमी गति से क्रियाकलाप करने पर एक रकबे पर होल्डिंग या अनावश्यक विस्तारण की मांग करने के लिए निवारक के रूप में काम करना।

  (v) इस नीति में पूरा न किए गए या अतिरिक्त कार्य के कार्यक्रम के बदले बैंक गारंटी और अनुमानित सहमति प्राप्त परिसमापन नुकसानी (कुछ मामलों /स्थितियों में) प्रस्तुत करके दंड की एक प्रणाली पर विचार किया गया है। बैंक गारंटी की धनराशि का प्रस्ताव करते समय, स्थितियों/ कारकों जैसे क्या यह विस्तारण एमडब्ल्यूपी या अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम पूरा करने के लिए है, क्या संविदा क्षेत्र में वाणिज्यिकता सिद्ध की गई है, क्या ठेकेदार आगे अन्वेषण के लिए इस क्षेत्र को रखना चाहता है, को ध्यान में रखा गया है।

  (vi) संबंधित संविदाओं के उपबंधों के अनुसार मेरिट के आधार पर संचालन समिति या सरकार द्वारा 6 महीने तक का विस्तारण दिया जा सकता है।

  (vii) सरकारी अनुमोदन/ परमिट/ अनुमतियां प्राप्त मिलने के कारण देखे जा सकने वाले विलंब, जो ठेकेदार के कारण नहीं हैं, को माफीयोग्य विलंब के रूप में माना जाएगा और ऐसे विलंबों को माफ किया जाएगा। इस संबंध में यदि

माफ किए जाने योग्य विलंबों के कारण संचालन समिति/सरकार द्वारा पहले ही कुछ विस्तारण स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो संविदा की प्रभावी तारीख से किए गए हैं अर्थात विस्तारण नीति के लागू होने से पहले के विलंबों सहित, तो इसे इस सीबीएम विस्तारण नीति के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(viii) यदि ठेकेदार विनिर्दिष्ट अवधि या विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के अंदर कार्य का कार्यक्रम पूरा नहीं करता है तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह संविदाओं के संबंधित उपबंधों के अनुसार सरकार को, पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम, यदि कोई है, के लिए धनराशि का भुगतान करे।

1. उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि विस्तारण स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित नीति लागू की जाए। नीचे सारणी में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों में आने वाले प्रस्तावों पर, प्रत्येक श्रेणी के सामने दी गई संबंधित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार सरकार द्वारा विचार किया जाएगा:

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>प्रस्ताव का प्रकार (चरण I और चरण II में विस्तारण के लिए लागू)</th><th colspan="2">शर्तें और निबंधन</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सरकारी स्वीकृतियां/ परमिट जारी किए जाने में विलंब के कारण मांगा गया विस्तारण</td><td colspan="2">देखे जा सकने वाले किसी विलंब को माफीयोग्य विलंब के रूप में माना जाएगा और स्वीकृत किया गया विस्तारण सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td rowspan="3">जहां सुसंगत चरण का न्यूनतम कार्य का कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) उस चरण की उपबंधित अवधि के अंदर पूरा नहीं किया गया है और एमडब्ल्यूपी पूरा करने के लिए चरण-I और II में विस्तारण की मांग की गई है (माफीयोग्य विलंब को छोड़कर)</td><td colspan="2">चरण-I और II दोनों में लागू।</td></tr>
<tr><td colspan="2">संबंधित संविदा के अनुसार संचालन समिति द्वारा पहले 6 महीने स्वीकृत किए जा सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>7-12 महीने</td><td>अतिरिक्त 6 महीने तक का विस्तारण निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों पर स्वीकृत किया जा सकता है:
(i) ठेकेदार 50 प्रतिशत की बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा, पूरा न किए गए कार्य के ऐसे कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने में सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए धनराशि परिकलित की जाएगी।</td></tr>
</table>

			(ii) विस्तारण की अवधि अगले चरण से सेट ऑफ कर दी जाएगी। (iii) ठेकेदार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संविदा के अनुसार क्षेत्र का परित्याग कर दे।
		13-18 महीने	12 महीने के पश्चात और 18 महीने तक के किसी विस्तारण पर निम्नलिखित शर्त के अधीन विचार किया जा सकता है: (i) ठेकेदार 75 प्रतिशत बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा और बाकी एकडब्ल्यूपी के लिए 15 प्रतिशत आकलन-पूर्व सहमतिप्राप्त परिनिर्धारित नुकसानी उपलब्ध कराएगा, संविदात्मक उपबंधों के अनुसार पूरा न किए गए कार्य के ऐसे कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने में सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए धनराशि परिकलित की जाएगी। (ii) विस्तारण की अवधि अगले चरण से सेटऑफ कर दी जाएगी।
3.	जहां एमडब्ल्यूपी पूरा कर लिया गया है और चरण-। और चरण-।। में अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम पूरा करने के लिए विस्तारण की मांग की गई है।	चरण-। और चरण-।। दोनों पर लागू।	
		0-6 महीने	संविदा की शर्तों के अनुसार पहला 6 महीने का विस्तारण संचालन समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
		7-12 महीने	6 महीने तक का अतिरिक्त विस्तारण निम्नलिखिता शर्तों एवं निबंधनों पर स्वीकृत किया जा सकता है: (i) कार्य के बाकी अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए ठेकेदार 35 प्रतिशत की बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा। ऐसे कार्य के कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने में सुसंगत कारकों को

			ध्यान में रखते हुए धनराशि परिकलित की जाएगी। (ii) विस्तारण की अवधि अगले चरण से सेटऑफ कर दी जाएगी। (iii) संविदा के अनुसार ठेकेदार को क्षेत्र का परित्याग करना आवश्यक होगा। (iv) अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम, ठेकेदार के परामर्श से डीजीएच द्वारा तर्कसंगत ढंग से तय किया जाएगा।
		13.18 महीने	12 महीने के पश्चात और 18 महीने तक के किसी विस्तारण पर निम्नलिखित की शर्त के अधीन विचार किया जा सकता है: (i) ठेकेदार कार्य के बकाया अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा, ऐसे कार्य के कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने में सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए धनराशि परिकलित की जाएगी। (ii) अवधि का विस्तारण अगले चरण से सेटऑफ कर दिया जाएगा। (iii) अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम, ठेकेदारों के परामर्श से डीजीएच द्वारा तर्कसंगत ढंग से तय किया जाएगा।
4.	जहां एमडब्ल्यूपी पूरा कर लिया गया है और संविदा के अनुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता सिद्ध कर दी गई है और ठेकेदार अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम पूरा करना चाहता है।	चरण-I और चरण-II दोनों पर लागू।	
		0-6 महीने	पहले 6 महीने का विस्तारण संविदा के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

		7-12 महीने	6 महीने तक का अतिरिक्त विस्तारण निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है: (i) कार्य के बाकी अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए ठेकेदार 35 प्रतिशत की बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा। ऐसे कार्य के कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने में सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए धनराशि परिकलित की जाएगी। (ii) विस्तारण की अवधि अगले चरण से सेटऑफ कर दी जाएगी। (iii) संविदा के अनुसार ठेकेदार को क्षेत्र का परित्याग करना आवश्यक होगा। (iv) अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम, ठेकेदार के परामर्श से डीजीएच द्वारा तर्कसंगत ढंग से तय किया जाएगा।
		13-18 महीने	12 महीने के पश्चात और 18 महीने तक के किसी विस्तारण पर निम्नलिखित की शर्त के अधीन विचार किया जा सकता है: (i) ठेकेदार कार्य के बकाया अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए 40 प्रतिशत बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा, ऐसे कार्य के कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने में सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए धनराशि परिकलित की जाएगी। (ii) अवधि का विस्तारण अगले चरण से सेटऑफ कर दिया जाएगा। (iii) अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम, ठेकेदारों के परामर्श से डीजीएच द्वारा तर्कसंगत ढंग से तय किया जाएगा।
5.	जहां एमडब्ल्यूपी पूरा कर लिया गया है, तथापि वाणिज्यिक व्यवहार्यता अभी सिद्ध नहीं की गई है और ठेकेदार अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम पूरा करना चाहता है (केवल	7-12 महीने	6 महीने तक का अतिरिक्त विस्तारण निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है: (i) कार्य के बाकी अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए ठेकेदार 35 प्रतिशत की बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा। ऐसे कार्य के कार्यक्रम की लागत का

	चरण-।। के लिए)		परिकलन करने में सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए धनराशि परिकलित की जाएगी। (ii) विस्तारण की अवधि अगले चरण से सेटऑफ कर दी जाएगी। (iii) संविदा के अनुसार ठेकेदार को क्षेत्र का परित्याग करना आवश्यक होगा। (iv) अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम, ठेकेदार के परामर्श से डीजीएच द्वारा तर्कसंगत ढंग से तय किया जाएगा।
		13-18 महीने	12 महीने के पश्चात और 18 महीने तक के किसी विस्तारण पर निम्नलिखित की शर्त के अधीन विचार किया जा सकता है: (i) ठेकेदार कार्य के बकाया अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा और शेष अतिरिक्त कार्य के कार्यक्रम के लिए 10 प्रतिशत पूर्व अनुमानित सहमतिप्राप्त परिनिर्धारित नुकसानी उपलब्ध कराएगा। (ii) अवधि का विस्तारण अगले चरण से सेटऑफ कर दिया जाएगा। (iii) अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम, ठेकेदारों के परामर्श से डीजीएच द्वारा तर्कसंगत ढंग से तय किया जाएगा।